दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 06 सितम्बर, 2021
निर्णीत : 12 अक्टूबर, 2021

फौ.वि.मु. 1681/2021

सरमद अहमद ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एम.आर. शमशाद, श्री अरिजीत सरकार एवं सुश्री नबीला जमाल अधिवक्तागण ।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य एवं अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जी.एम. फारुकी, राज्य के अति.लो.अभि संग उप.नि. विजय, थाना मधु विहार |

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने भा.दं.सं. की धारा 188 और महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत

दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 7 अप्रैल, 2020 को थाना मधु विहार, जिला पूर्व, नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 102/2020 में प्रत्यर्थी / राज्य द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2021 को दायर आरोप-पत्र को रद्द करने की मांग की है ।

2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत भूतलक्षी रूप से करंतीन आदेश को लागू करने से है और याचिकाकर्ता के फोन कॉल विवरण के आधार पर एक कथित उल्लंघन के आधार पर, उपरोक्त उल्लिखित प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप-पत्र दायर किया गया ।

3. तथ्य जिनके परिणामस्वरूप प्राथमिकी सं. 102/2020 दर्ज हुई है वह संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को भारत से फ्रांस गया और दिनांक 5 फरवरी, 2020 को वापस भारत लौट आया । जब याचिकाकर्ता भारत

वापस लौटा तो अनिवार्य संस्थागत/गृह करंतीन निर्देशित करने वाला कोई आदेश लागू नहीं था । दिनांक 30 जनवरी, 2020 को, वि.स्वा.सं. ने कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया । दिनांक 5 फरवरी, 2020 को याचिकाकर्ता के फ्रांस से भारत वापस आने के बाद, भारत सरकार ने दिनांक 12 मार्च, 2020 को कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे उन लोगों को जिन्होंने चीन, इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा की हो 15 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से करंतीन रहने के लिए कहा गया ।

4. दिनांक 14 मार्च, 2020 को स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर का दौरा किया और उसकी यात्रा विवरण के

बारे में पूछा, जिसे याचिकाकर्ता ने बता दिया । याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उसे कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं थे । दिनांक 22 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने एक दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की, जिसके बाद 21 दिनों की अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया, ताकि कोविड-19 के फैलने के प्रभाव को कम किया जा सके । दिनांक 7 अप्रैल, 2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 188, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की गई ।

5. प्राथमिकी में आरोप लगाए गए थे कि याचिकाकर्ता को दिनांक 16 मार्च, 2020 से 30 मार्च, 2020 तक स्वयं गृह करंतीन रहने का निर्देश दिया गया था । याचिकाकर्ता की आवाजाही पर नजर रखने के लिए उनके मोबाइल फोन की

सीडीआर ली गई और यह देखा गया कि दिनांक 19, 20, 23 मार्च, 2020 को और कई अन्य बार उन्होंने गृह करंतीन की शर्त का उल्लंघन किया, सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए बिना विभिन्न स्थानों का दौरा किया, जिससे आम जनता का जीवन खतरे में पड़ गया ।

6. दिनांक 4 दिसंबर, 2020 को याचिकाकर्ता को उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के बारे में पता चला । याचिकाकर्ता को दिनांक 25 मार्च, 2021 को थाना मधु विहार में दिनांक 27 मार्च, 2021 को शाम 4:00 बजे पेश होने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 41-ए के तहत नोटिस दिया गया था । दिनांक 2 जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ता को सम्मन जारी किया गया था । दिनांक 7 जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ता को थाना मधु

विहार से एक फोन आया जिसमें उन्हें सम्मन ले जाने के लिए कहा गया, अतः यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत है ।

7. प्राथमिकी के अनुसार, दिनांक 19, 20, 23 मार्च, 2020 और कई अन्य बार, याचिकाकर्ता ने मानदंडों का उल्लंघन किया, जो तथ्य याचिकाकर्ता के कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण करके प्रत्यर्थी को ज्ञात हुए । वर्तमान याचिका के उत्तर में राज्य द्वारा एक स्थिति आख्या दायर की गई है । स्थिति आख्या के अनुसार, याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन की सीडीआर दिनांक 15 मार्च, 2020 से दिनांक 6 अप्रैल, 2020 तक प्राप्त की गई थी और दिनांक 3 अप्रैल, 2020 को याचिकाकर्ता को उल्लंघन करते हुए पाया गया था क्योंकि वह दिनांक 3 अप्रैल, 2020 को विभिन्न स्थानों पर घूमता पाया गया था ।

8. दिनांक 24 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक खंड 12 और 17 निम्नानुसार हैं:

> "12. वे सभी व्यक्ति जो दिनांक 15.02.2020 के बाद भारत पहुंचे हैं, और ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय की गई अवधि के लिए कड़े गृह/संस्थागत करंतीन में रहें, इसका पालन करने में विफल रहने की स्थिति में वे भा.दं.सं. की धारा 188 के तहत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे ।
>
> 17. इन नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।'

9. वर्तमान याचिका में मुद्दा यह है कि चूँकि याचिकाकर्ता दिनांक 5 फरवरी, 2020 को भारत आया था तो क्या प्रत्यर्थी द्वारा जारी दिशानिर्देश, जो दिनांक 15 फरवरी, 2020 से लागू थे, वह दिनांक 5 फरवरी, 2020 से याचिकाकर्ता पर लागू किए

जा सकते है अथवा नहीं । यह सुस्थापित है कि एक प्रतिबंध भूतलक्षी रूप से नहीं लगाया जा सकता है । दिनांक 24 मार्च, 2020 के दिशानिर्देशों को दिनांक 15 फरवरी, 2020 से लागू किया गया था । हालाँकि, याचिकाकर्ता ने दिनांक 5 फरवरी, 2020 को भारत में प्रवेश किया था और न कि फरवरी, 2020 के 15 वें दिन/अथवा उसके बाद | आरोप पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 16 मार्च, 2020 के करंतीन आदेश का उल्लंघन किया, जो दिनांक 30 मार्च, 2020 तक लागू था, जब दिशानिर्देश उन लोगों पर लागू थे, जो दिनांक 15 फरवरी, 2020 को या उसके बाद आए थे और याचिकाकर्ता इस श्रेणी में शामिल नहीं है क्योंकि वह भारत दिनांक 05, फरवरी 2020 को आया था । इसलिए, न्यायालय का यह विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले की उत्पत्ति

ही दोषपूर्ण है । इसके अलावा, हालांकि आरोप-पत्र में मामला दिनांक 19, 20 और 23 मार्च, 2020 से दिनांक 30 मार्च, 2020 तक उल्लंघन के लिए है, हालांकि, अब स्थिति आख्या में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 3 अप्रैल, 2020 को बाहर था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अब स्थिति आख्या में एक बिल्कुल ही नया मामला बनाया जा रहा है जो आरोप पत्र के विपरीत है ।

10. फिर भी, आरोप पत्र और स्थिति आख्या में परस्पर विरोधी तथ्यों के अलावा, तथ्य यह है कि जब दिनांक 24 मार्च, 2020 को जारी किए गए दिशानिर्देश दिनांक 15 फरवरी, 2020 को या उसके बाद भारत में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए लागू थे, इसे याचिकाकर्ता के लिए अतिरिक्त भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जो दिनांक 5 फरवरी, 2020 को देश में

पहुंचा था, इसलिए याचिकाकर्ता पर उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोग नहीं चलाया जा सकता है ।

11. नतीजतन, थाना मधु विहार, पूर्वी जिला, नई दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 188 और महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 102/2020 और उसके परिणामतः की गई कार्यवाही को रद्द किया जाता है ।

12. याचिका का निपटान किया जाता है ।

13. इस न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए।

न्या. मुक्ता गुप्ता

12 अक्टूबर, 2021
वी.एन.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|